## महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम (प्रशिक्षण केन्द्र) OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I)

KERALA, THIRUVANANTHAPURAM (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प./प्रशिक्षण/11-250/2025-26 No.Au/Trg/11-250/2025-26

दिनांक: 21 जुलाई 2025

Date: 21.07.2025

## अनुभागीय आदेश सं. 142/ SECTIONAL ORDER NO. 142

अनुभागीय आदेश संख्या 137 दिनांक 14.07.2025 के आंशिक संशोधन में, इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने उल्लेखित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मूल रूप से नामित अधिकारी के स्थान पर नामित किया गया है, जो कि इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर (कंप्यूटर लैब) में आयोजित किया जाएगा।

In partial modification of Order No.137 dated14.07.2025, the following official of this office has been nominated in place of the originally nominated official for the training program mentioned against his name, scheduled to be conducted at In house Training Centre (Computer Lab).

SI No	Name of the Official Originally Nominated (Shri. / Smt.)	Name of the Substitute Nominated (Shri. / Smt.)	Dates of Training	Training Course
1.	Ankur Tripathi, AAO(P)/ AMG III	Parameswaran J, Auditor/ITS cell	21.07.2025 to 23.07.2025	Risk Assessment Methodology for Annual Audit Planning

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा सकता है। अधिकारी को साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मुल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participant may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using his Official email ID. The official is also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months from the last day of Training.

(उप महालेखाकार (प्रशासन) के दिनांक 21 जुलाई 2025 के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

## प्रतिलिपि:-

1. अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक .प.ले)-।)/(ले.प॥)
2. संबंधित अधिकारी	5.	म.ले. (ले.प।)/(ले.प॥) के सचिव/निजी सचिव